Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding deposit of investors of PACL, a private company.

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): महोदया, पर्ल्स ग्रुप ऑफ कम्पनीज भिन्न-भिन्न योजनाओं को लेकर वर्ष 1983 से देश के हर क्षेत्र में कारोबार कर रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में भी वर्ष 1996 में वह PACL के नाम से रियल स्टेट (भूमि क्रय-विक्रय) योजना चला रही थी एवं अपनी योजनानुसार निवेशकों का पैसा समय पर वापस कर रही थी। इसमें हर क्षेत्र के लोग विश्वास के साथ निवेश कर रहे थे, लेकिन 22 अगस्त, 2014 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कम्पनी के सारे बैंक एकाउंट सीज कर कम्पनी के सारे सम्पत्तियों के दस्तावेज जब्त कर लेन-देन बंद करवा दिया, जिससे ग्राहकों को पैसा मिलना बंद हो गया।

पी.ए.सी.एल. कम्पनी ने अपने पक्ष को लेकर सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 02 फरवरी, 2016 को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर. एम. लोढ़ा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की एवं इसी कमेटी की निगरानी में कम्पनी की सारी प्रॉपर्टीज को नीलाम कर कम्पनी के सारे निवेशकों का पैसा वापस करने का आदेश सेबी को सुनाया। परन्तु, आज तक किसी को भी एक रुपया नहीं मिला और यह कब तक मिलेगा, न ही इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है जबकि जितनी कम्पनी की देनदारी है, उससे अधिक की सम्पत्ति जब्त कर रखी गयी है। सेबी द्वारा व सरकार के द्वारा निवेशकों का पैसा वापस दिलाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे निवेशकों में जबर्दस्त आक्रोश व असंतोष है। उनकी पारिवारिक स्थिति भी पैसा न मिलने के कारण ठीक नहीं है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से माँग करता हूं कि तत्काल निवेशकों का पैसा दिलाने की कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष:

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं

श्री राजीव सातव को श्री ताम्रध्वज साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।